

मुद्रा समय पाल  
वि० ३३ पार नं० वि०  
कि० ३३ (प्रथम सिद्ध नगर)



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 31 जनवरी, 1991

माघ 11, 1912 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

श्रम अनुभाग-2

संख्या 556 (एच०आई०)/36-2-115<sup>1</sup>(एच०आई०)-89

लखनऊ, 31 जनवरी, 1991

अधिसूचना

विधाय

प० आ०-43

चूंकि भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या बी०-23030/1/85-700ए, दिनांक 17 जुलाई, 1985 द्वारा उद्योग में वर्तमान मजदूरी के ढांचे के अग्रतर पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार करने के लिये और आनुसंगिक सिफारिशें करने के लिये भी चीनी उद्योग के लिये तृतीय मजदूरी बोर्ड की स्थापना करने का विनिश्चय किया ;

और चूंकि उक्त मजदूरी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया और संकल्प संख्या बी०24014/21/89-डब्लू० बी०, दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 द्वारा उसके उक्त मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को कतिपय उदात्तरों के साथ स्वीकार कर लिया ;

और चूंकि भारत सरकार को उक्त संकल्प के कार्यान्वयन के विषय पर दिनांक 23 अक्टूबर, 1989 को हुए विदलीय सम्मेलन में विचार किया गया जिसमें सेवायोजकों अर्थात् इंडियन शुगर मिल एसोसियेशन की उत्तर प्रदेश शाखा, कोऑपरेटिव शुगर फेडरेशन और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के प्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग में कार्य कर रहे विभिन्न कर्मकारों के एसोसियेशनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे ;

और चूंकि 26 सितम्बर, 1990 को हुए एक अन्य त्रिदलीय सम्मेलन द्वारा उक्त मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सेवायोजकों और कर्मकारों के बीच सर्वसहमति लाने के लिये अन्ततः कुछ अनिश्चित विषयों पर विचार किया गया ;

और चूंकि राज्य सरकार की राय में, लोक व्यवस्था और जनजीवन के लिये आवश्यक सम्भरण और सेवाओं को बनाये रखने और सेवायोजन को बनाये रखने के लिये भारत सरकार द्वारा यथा स्वीकार की गयी समस्त मजदूरी बांड की सिफारिशों को कार्यान्वित करना आवश्यक था ;

अतएव, अब, संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक शगड़ों का ऐनट, 1947 (संयुक्त प्रांतीय ऐनट संख्या 28 सन् 1947) की धारा 3 के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते, राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं और खण्ड ऐनट की धारा 19 के निर्देश में निर्देश देते हैं कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करने दी जायेगी।

### आदेश

#### व्याप्ति

1---यह आदेश निम्नलिखित पर लागू होगा :

(एक) इस राज्य के समस्त वैक्यूमपैन चीनी के कारखानों पर ;

(दो) वैक्यूमपैन चीनी उद्योग के समस्त कर्मचारियों पर जो अद्यतन यथासंशोधित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में पद "कर्मकार" की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं ;

(तीन) समस्त कर्मकारों पर जो किसी कारखाने के संविदाकार द्वारा---

(क) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ट) में यथा परिभाषित निर्माण प्रक्रिया है या ;

(ख) निर्माण प्रक्रिया के लिये प्रयुक्त मशीनों या भूगृहादि के किसी भाग को साफ करने ; या

(ग) किसी अन्य प्रकार के कार्य से जो निर्माण प्रक्रिया से आनुपगतिक या संबंधित हो या निर्माण प्रक्रिया जिनके अन्तर्गत कारखाने के भूगृहादि के भीतर कच्चा माल, स्टोर सामग्री और तैयार उत्पादों का निपटाना लादना या उतारना भी है, का विषय हो ; या

(घ) चीनी के कारखाने की मशीनों, भवनों या किसी अन्य पूंजीगत परिस्मृतियों की मरम्मत और अनुरक्षण ;

से संबंधित कार्य के लिये लगाये गये हों ;

(चार) समस्त निकालीय पैदा मेडिकल और शैक्षिक कर्मचारियों पर ;

(पांच) कारखानों में सम्बद्ध आवासीय कालोनी में कार्य के लिये नियोजित समस्त व्यक्ति भी इस आदेश के प्रयोजनों के लिये "कर्मकार" की परिभाषा के अन्तर्गत सम्मिलित समझे जायेंगे ;

किन्तु यह आदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा---

(क) खांडसारी और गुड़ परिष्करणशाला और सहयुद्ध उद्योग जैसे पोटैशुम रिफ्ट पावर अल्कोहल और कन्फेक्शनरी का निर्माण और गन्ने के फार्म ;

(ख) कारखाने के भूगृहादि के बाहर के कार्यों और गन्ने की फसल के काटने और या परिवहन में नियोजित टेका श्रमिक ;

(ग) शिक्षु अधिनियम 1961 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1961) द्वारा नियंत्रित "शिक्षु" ;

(घ) कारखाना श्रम कल्याण अधिकारी जिनकी वेतन श्रेणी अन्य भत्ते और सेवा शर्तें यू 0 पी 0 फेडरल वेलफेयर आफिसर्स रुल्स, 1955 द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे किन्तु कोई कल्याण अधिकारी इस आदेश के अधीन पर्यवेक्षी-ख श्रेणी में काम की मजदूरी नहीं पायेगा।

#### मजदूरी डांचा

3---राज्य में समस्त वैक्यूमपैन चीनी के कारखानों अपने कर्मकारों को निम्नलिखित वेतनमानों में वेतन देंगे:

#### कर्मकारों की श्रेणी

#### पुनरीक्षित वेतनमान

क---आपरेटिवज

रु०

1---अकुशल	..	800-10-900-15-1050
2---अर्द्धकुशल	..	900-15-1050-20-1250
3---कुशल "ख"	..	1050-25-1300-30-1600
4---कुशल "क"	..	1200-30-1500-35-1850
5---अतिकुशल	..	1300-35-1650-40-2050

ख---लिपिक

6---श्रेणी-चार	..	1050-25-1300-30-1600
7---श्रेणी-तीन	..	1200-30-1500-35-1850
8---श्रेणी-दो	..	1300-35-1650-40-2050
9---श्रेणी-एक	..	1400-40-1800-45-2250

13

कर्मचारियों की श्रेणियाँ	पुनरीक्षित वेतनमान
ग--पर्यवेक्षी	रु०
10--श्रेणी-ग	1400-40-1800-45-2250
11--श्रेणी-ख	1500-45-1950-50-2450
12--श्रेणी-क	1700-60-2300-75-3050

3--सम्बन्धित श्रेणियों के कर्मचारों पर प्रयोज्य उपर्युक्त वेतन श्रेणियाँ पैरा-5 में दी गई फिटमेंट योजना के अनुसार अनुमन्य कारायी जायेगी ; प्रतिबन्ध यह है कि--

(क) कर्मकार जब से चीनी के कारखाने से किसी अन्य सहवद्ध उद्योग जिसके अन्तर्गत गन्ने के फार्म भी है, में स्थानान्तरित किये जायें तब वे वही मजदूरी पायेंगे जो चीनी के कारखाने में या फार्मों में या उस सहवद्ध उद्योग में है, इसमें जो भी उच्चतर हो ।

(ख) ऐसे कर्मकार भी, जो किसी सहवद्ध उद्योग जिसके अन्तर्गत चीनी के कारखाने के स्वामित्वाधीन गन्ने के फार्म भी हैं, में आंशिक रूप से कार्य करने के लिये और अंशतः चीनी के कारखाने में कार्य करने के लिये नियोजित हों, वही मजदूरी पायेंगे जैसा वे सहवद्ध उद्योग या चीनी के कारखाने में पा रहे थे, इसमें जो भी उच्चतर हो ।

(ग) ऐसे कर्मकार को, जो कर्मकार के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिये सविदा के आधार पर या दैनिक मजदूरी पर या अस्थायी या आंशिक आधार पर किसी चीनी के कारखाने द्वारा नियोजित किया गया हो, बोर्ड द्वारा यथा संस्तुत न्यूनतम मासिक कुल मजदूरी (न्यूनतम मूल मजदूरी + स्थिर भत्ता यदि कोई हो + परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) को 26 से विभाजित करके संगणित की गयी प्रति दिन की दर पर पुगतान किया जायेगा ।

(घ) चिकित्सा अधिकारी को या तो बोर्ड द्वारा यथा संस्तुत पुनरीक्षित मजदूरी को मानक्रम या अपने वर्तमान मजदूरी के मानक्रम का विनाश करने की अनुमति दी जायेगी ।

उक्त चिकित्सा कर्मचारीगण, जैसे कम्पाउंडरों, नर्स, ड्रेसर और मिडवाइच का वेतन मानक व्यवसायिक नामावली में उल्लिखित उनकी श्रेणी के अनुसार पुनरीक्षित मानक्रम में निर्धारित किया जायेगा । अन्य सुविधाओं, जैसे निःशुल्क बर्दी, निःशुल्क वासस्थान और विद्युत या अन्य भत्ता जैसे बर्दी भत्ता पाने वाले कर्मचारी उन्हें पाते रहेंगे ।

#### श्रेणियाँ

4--कर्मचारों का फिटमेंट निम्नलिखित श्रेणियों में किया जायेगा :

#### आपरेटिव्ज

- (क) अकुशल
- (ख) अर्द्धकुशल
- (ग) कुशल-ख
- (घ) कुशल-क
- (ङ) अति कुशल

#### लिपिक

- (च) लिपिक--श्रेणी-चार
- (छ) लिपिक--श्रेणी-तीन
- (ज) लिपिक--श्रेणी-दो
- (झ) लिपिक--श्रेणी-एक

#### पर्यवेक्षी

- (य) पर्यवेक्षी-ग
- (ट) पर्यवेक्षी-ख
- (ठ) पर्यवेक्षी-क

5--(क) मानक व्यवसायिक नामावली की सूची जिसके विरुद्ध फिटमेंट किया जाना है, परिशिष्ट-एक पर है।

(ख) व्यवसायिक नामावली की सूची उत्तर प्रदेश में विभिन्न चीनी के कारखानों में सामान्यतया वर्तमान व्यवसायों को दर्शाती है । इस सूची में किसी पद के सृजन का उल्लेख नहीं है, जहाँ वह वर्तमान नहीं है ।

स्पष्टीकरण--द्वितीय मजदूरी बोर्ड की नामावली में दिये गये कुछ व्यवसायों को या तो निकाल दिया गया है या अन्य व्यवसायों के साथ मिला दिया गया है ।

मुख्य सचिव पाल

फिटमेंट कमेटी

किच्छा (सिद्धनगर)

## तौलाई भत्ता

6--राज्य में चीनी के कारखानों में निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मकार विशेष तौलाई भत्ता पाने के हकदार होंगे, जैसा उनके सामने दर्शाया गया है।

श्रेणी	तौलाई प्रतिमाह
1--पल्लेदार/हमल	₹ 40
2--गेस्ट हाउस अटेंडेंट	₹ 25
3--हाई स्पीड आटोमेटिक सेन्ट्रीफ्यूगलों में निष्कृत सेन्ट्रीफ्यूगल अपरेटरों से भिन्न सेन्ट्री-फ्यूगल मजदूर	₹ 25

टिप्पणी--मूल मजदूरी निर्धारित करते समय तौलाई भत्ते का न तो ध्यान दिया जायेगा और न उसे उसके भाग के रूप में किसी प्रक्रम पर लिया जायेगा।

## स्थिर भत्ता

7-- (क) उपर्युक्त मजदूरी के मानक्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मकारों को निम्नलिखित स्थिर भत्ता अनुमन्य होगा :--

(क) अकुशल	267 रुपया प्रतिमाह
(ख) अर्द्धकुशल	177 रुपया प्रतिमाह,
(ग) कुशल "ख"	55 रुपया प्रतिमाह
(घ) लिपिक वर्गीय-चार	

(ख) उक्त श्रेणी में समस्त कर्मकारों के लिये स्थिर भत्ता देना होगा चाहे उनकी व्यक्तिगत मूल मजदूरी कुछ भी हो और यह स्थिर भत्ता इस अधिमूचना के अधीन अधिमूचित पुनरीक्षित मानक्य के प्रवर्तन में रहने तक स्थिर रहेगा और समस्त प्रयोजनों के लिये कुल मजदूरी का भाग बनेगा।

## परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

8--परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की योजना निम्न प्रकार होगी :--

(क) परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान औद्योगिक कर्मकारों के लिये अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1960=100) के आधार पर किया जायेगा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर 30 जून, 1990 तक एक रुपया पैंसठ पैंसा प्रति अंक होगी। 1 जुलाई, 1990 से अर्थात् 853 अंकों के ऊपर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर की संगणना एक रुपया पच्चासी पैंसा प्रति अंक की दर से की जायेगी।

(ख) परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण तिमाही आधार पर अर्थात् 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को किया जाता रहेगा। 1 जुलाई से देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की संगणना करने के लिये पूर्ववर्ती तीन माह के औसत मूल्य सूचकांक अर्थात् अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर मास के सूचकांकों के औसत पर विचार किया जायेगा। 1 अप्रैल से देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की संगणना नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी के पूर्ववर्ती माहों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर की जायेगी। 1 जुलाई से देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की संगणना फरवरी, मार्च और अप्रैल के पूर्ववर्ती माहों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर की जायेगी और इसी प्रकार 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की संगणना मई, जून और जुलाई के पूर्ववर्ती माहों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर की जायेगी।

## फिटमेंट

9--(क) प्रत्येक कर्मकार को उसके संबंधित श्रेणी में दिनांक 30 सितम्बर, 1989 को देय मूल मजदूरी में पचहत्तर रुपया और बीस पैंसा या मूल मजदूरी का साढ़े बारह प्रतिशत इसमें जो भी उच्चतर हो, की वढ़ावती दी जायेगी और उसे पुनरीक्षित मानक्य में फिट किया जायेगा।

(ख)--सम्बंधित श्रेणी में पुनरीक्षित मानक्य में इस प्रकार निर्धारित कर्मकारों के मूल मजदूरी का निर्धारण पुनरीक्षित मानक्य में एक वेतनवृद्धि देकर किया जायेगा।

(ग) यदि पूर्ववर्ती प्रस्तरो में दी गयी वृद्धि के अनुसार निकाली गयी कुल धनराशि पुनरीक्षित मजदूरी क्रम के न्यूनतम से कम बैठती है, तो पुनरीक्षित मूल मजदूरी का निर्धारण उस मानक्य के न्यूनतम पर किया जायेगा। यदि कुल धनराशि बढी है जो पुनरीक्षित मजदूरी मानक्य में किसी प्रक्रम पर है तो पुनरीक्षित मजदूरी मानक्य का निर्धारण उस प्रक्रम पर किया जायेगा। यदि वह पुनरीक्षित मजदूरी मानक्य में किन्हीं दो प्रक्रमों के बीच पड़ता है तो पुनरीक्षित मजदूरी मानक्य का निर्धारण उस मानक्य में अगले उच्चतर प्रक्रम पर किया जायेगा।

(घ)--कर्मकार 1 जुलाई, 1990 से अपने-अपने मानक्य में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि भी पायेंगे। अगली वेतन-वृद्धि 1 अक्टूबर, 1990 को देय होगी।

(ङ) यदि सीजन और आफ-सीजन के बीच काम की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो कर्मकार द्वारा किये गये बेहतर काम की श्रेणी और मजदूरी के मानक्य पर पुनरीक्षित मजदूरी मानक्य में फिटमेंट के शिथे विचार किया जायेगा किन्तु यह इस शर्त के अधीन होगा कि वह इस लाभ का हकदार नहीं होगा यदि उसने कम से कम एक पूर्ण सीजन या एक पूर्ण आफ-सीजन के लिये उच्चतर श्रेणी में कर्तव्य का सम्पादन नहीं किया है।

102

(च) यदि रिजर्विग कर्मकार से भिन्न कर्मकार को वैकल्पिक और नियमित रूप से दो विभिन्न श्रेणियों में कर्तव्य का आवंटन किया जाता है तो उसे इन दो श्रेणियों में उच्चतर श्रेणी का पदनाम और मजदूरी मानक इस शर्त पर दिया जायगा कि वह निम्नतर श्रेणी के लिये विहित कर्तव्यों का पालन करने से इनकार नहीं करेगा।  
(छ) वर्तमान पदधारी भी जिसके पास पदों के लिये अब निर्धारित आवश्यक अर्हता और अनुभव नहीं है, पुनरीक्षित मानक का हकदार होगा।

**दृष्टान्त**

फिटमेंट का उपर्युक्त फारमूला ऐसे कर्मकार के संबंध में जिसका मानकम 800 रुपये प्रतिमाह से प्रारम्भ होता है, निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है :-

अकुशल श्रेणी के कर्मकारों को अनुमन्य मजदूरी मानकम 30 सितम्बर, 1989 को वर्तमान स्थिति :

(एक) न्यूनतम मूल मजदूरी .. .. .	340 रु०
(दो) ग्रैजुएटेड महंगाई भत्ता .. .. .	(+) 80 रु०
(तीन) अन्तरिम वृद्धि .. .. .	(+) 45 रु०
(चार) 818 अंक के लिये परिवर्तनीय महंगाई भत्ता .. .. .	(+) 723.50
<b>30 सितम्बर, 1989 को कुल वेतन .. .. .</b>	<b>1188.50 रु०</b>

1 अक्टूबर, 1989 को पुनरीक्षित मजदूरी :

(एक) कुल मजदूरी जैसा ऊपर है .. .. .	1188.50
(दो) 75.20 रुपये या 30 सितम्बर, 1989 को देय मूल मजदूरी का 12 1/2 प्रतिशत, इसमें जो भी उच्चतर हो, जोड़िए .. .. .	(+) 75.20 रु०
(तीन) 1 अक्टूबर 1989 को पुनरीक्षित श्रेणी की वेतन-वृद्धि .. .. .	(+) 10 रु०
<b>योग .. .. .</b>	<b>1273.70 रु०</b>

(चार) स्थिर भत्ता 267 रुपये और 74 अंकों का परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 122 घटायें अर्थात् 918-744 .. .. .

	(-) 389.10 रु०
<b>अतिशेष .. .. .</b>	<b>884.60 रु०</b>

(पांच) 1 अक्टूबर, 1989 को अगले उच्चतर पुनरीक्षित मूल मजदूरी में फिटमेंट वेतन वृद्धि जोड़िए .. .. .

	884.60 रु०
	(+) 5.40 रु०
<b>योग .. .. .</b>	<b>890.00 रु०</b>

(छ) स्थिर भत्ता जोड़िए .. .. .

	267.00 रु०
(सात) 1 अक्टूबर, 1989 को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता जोड़िये .. .. .	158.40 रु०
<b>1 अक्टूबर, 1989 को कुल मजदूरी .. .. .</b>	<b>1315.40 रु०</b>

30 सितम्बर, 1989 को वर्तमान समस्त कर्मकारों को ऊपर दी गयी प्रक्रिया और संशुक्तियों के अनुसार अपने संबंधित वेतनमानों की पुनरीक्षित श्रेणियों में फिट किया जायगा।

(ज) विभिन्न श्रेणियों के कर्मकारों की जिन्होंने 1 अक्टूबर, 1989 को या उसके पश्चात कार्यभार ग्रहण किया प्रारम्भिक मूल मजदूरी निम्नलिखित होगी :-

	मूल	स्थिर भत्ता
अकुशल .. .. .	840 रुपये	267 रुपये
अर्धकुशल .. .. .	945 रुपये	177 रुपये
कुशल-ख .. .. .	1100 रुपये	55 रुपये
कुशल-क .. .. .	1200 रुपये	
अति कुशल .. .. .	1300 रुपये	
लिपिक श्रेणी-चार .. .. .	1100 रुपये	55 रुपये
लिपिक श्रेणी-तीन .. .. .	1200 रुपये	
लिपिक श्रेणी-दो .. .. .	1300 रुपये	
लिपिक श्रेणी-1 .. .. .	1400 रुपये	
पर्यवेक्षी-ग .. .. .	1400 रुपये	
पर्यवेक्षी-ख .. .. .	1500 रुपये	
पर्यवेक्षी-क .. .. .	1700 रुपये	

मुख्य सचिव पाल  
निचले .. .. .  
किचन .. .. .

(झ) ऐसे कर्मकारों को, जो उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 10397 (एच0 आई0)/36-सी-83 (एच0 आई0)-70, दिनांक 27 नवम्बर, 1970 द्वारा यथा अधिसूचित द्वितीय मजदूरी बोर्ड की संस्तुतियों के अनुसार कुशल "ख" और लिपिक-वर्गीय चार की श्रेणी में थे, दिनांक 1 अक्टूबर, 1989 से पुनरीक्षित मानक्रम में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जायेगी। यह दृष्टान्त में ऊपर वर्णित फिटमेंट प्रक्रिया के अनुसार दी जाने वाली वेतन वृद्धियों के ऊपर होगी।

(ञ) इस आदेश का प्रभाव यह नहीं होगा कि कोई वर्तमान परिलब्धि, लाभ या सुख-सुविधा जिसके राज्य में चीनी के कारखानों के कर्मकार अब तक हकदार रहे हैं, कम कर दी जायेगी या उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा। यदि उनकी कुल परिलब्धियां इस अधिसूचना के अधीन विहित परिलब्धियों से उच्चतर हैं, तो उनका इस प्रकार भुगतान किया जाता रहेगा और कोई सेवायोजक उन्हें कम नहीं करेगा। इसी तरह, जहाँ कोई कर्मकार निःशुल्क वडी, निःशुल्क वास स्थान, विद्युत् और अन्य लाभों का हकदार है, वहाँ वह उन्हें पाता रहेगा और इन सुविधाओं का समायोजन पुनरीक्षित वेतनमान, स्थिर भत्ता, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता आदि में नहीं किया जायेगा।

10--रिट्रेनिंग भत्ता

(क) सभी सीजनल कर्मकारों को निम्नलिखित दरों पर रिट्रेनिंग भत्ता दिया जायेगा--

(क) अकुशल कर्मकार	उनकी कुल मजदूरी के 20 प्रतिशत की दर से
(ख) अर्धकुशल कर्मकार	उनकी कुल मजदूरी के 30 प्रतिशत की दर से।
(ग) कुशल, लिपिक वर्गीय, अति कुशल और पर्यवेक्षक	उनकी कुल मजदूरी के 50 प्रतिशत की दर से।

(ख) यदि रिट्रेनिंग भत्ता पाने के हकदार किसी सीजनल कर्मकार की आफ सीजन के दौरान किसी भी कारण से मृत्यु हो जाय या वह सेवानिवृत्त हो जाय, तो वह अपनी सेवानिवृत्त या मृत्यु के दिनांक तक विहित दरों पर रिट्रेनिंग भत्ता पाने का हकदार होगा।

11--कुशलता (स्किल) की श्रेणियों में वर्गीकरण

समस्त कर्मकारों को परिशिष्ट-एक में मानक नामावली में निर्धारित अर्हताओं, अनुभव और कर्तव्यों के अनुसार वर्गीकृत किया जायेगा।

12--आवास व्यवस्था

पुराने निर्मित मकानों के संबंध में मकान किराये में कोई वृद्धि नहीं होगी। उनका किराया और बिजुत् प्रभार आदि वर्तमान आधार पर नियंत्रित होता रहेगा। फिर भी यदि कोई सेवायोजक भविष्य में किसी नये मकान का निर्माण करता है तो ऐसे मकानों का किराया परिशिष्ट-दो के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।

13--रिलीविंग कर्मकारों का पारिवारिक

(क) जब किसी निम्न श्रेणी का कोई रिलीवर उच्चतर श्रेणी के कर्मकार को रिलीव करता है, तब वह ऐसी सेवा की अवधि के दौरान उन दरों पर वेतन और अन्य भत्ता पायेगा जो उच्चतर श्रेणी में किसी कर्मकार को देय धन-राशि से कम नहीं होगा।

(ख) यह साप्ताहिक छुट्टियों के प्रयोजन के लिए रिलीवर कर्मकार पर भी लागू होगा।

(ग) नियमित कर्मकारों को रिट्रेनिंग भत्ते का भुगतान करने के प्रयोजनों के लिये, पेंराई सीजन में सेवा की अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल मजदूरी के आसत पर विचार किया जायेगा।

सामान्य

14 (क) वे कर्मकार जो 1 जनवरी, 1988 से 30 सितम्बर, 1989 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए या मर गये या वे कर्मकार जो इस अवधि के दौरान सेवा में आये, स्थायी कर्मकारों के लिये 1,000 रुपये और सीजनल कर्मकारों के लिए 600 रुपये की दर पर संगणित अनुपातिक बनराशि सरकारी अधिसूचना संख्या 6321-(एच आई)/36-2-115 (एच आई)-89, दिनांक 21 नवम्बर, 1989 द्वारा तृतीय मजदूरी बोर्ड की संस्तुतियों को प्रवर्तित करने के लिये दिये गये एक मुश्त भुगतान के वक़ाये के रूप में प्राप्त करेंगे।

(ख) ऐसे कर्मकारों को जो 1 जनवरी, 1988 से 7 वर्ष की लगातार अवधि के लिये उच्चतर श्रेणी पर पदोन्नति नहीं पाते, 7 वर्ष की सेवा के अन्त में पुनरीक्षित मानक्रम में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जायेगी।

(ग) राज्य में समस्त वैकुअम चीनी के कारखाने सरकारी अधिसूचना संख्या 3158 (एच आई)/36-2-115 (एच0 आई0)/89, दिनांक 15 जुलाई, 1982 में निर्धारित शर्तों के अनुसार उत्तराधिकारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित उक्त अधिसूचना को लागू करेंगे। इसी स्तर पर किये गये कारार पर इस सम्बन्ध में किये गये सम्झौते के निबन्धनों के अनुसार कार्यवाही की जाती रहेगी।

(घ) अधिसूचना संख्या 6321 (एच आई)/36-2-115 (एच आई) 89, दिनांक 21 नवम्बर, 1989 और चीनी कारखाने के लिये त्रिदलीय समिति में 26 सितम्बर, 1990 को हुई आम सहमति पर इस अधिसूचना में सम्यक् रूप से विचार किया गया है और उक्त अब इस अधिसूचना के निबन्धनों के अनुसार प्रवर्तित होगी।

(ङ) वही हुई मूल मजदूरी, स्थिर भत्ता, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता आदि के सम्बन्ध में वक़ायों का भुगतान विलम्बतम् 31 जनवरी, 1991 तक कर दिया जाएगा।

(च) पुनरीक्षित मजदूरी की दरें और अन्य लाभ 1 अक्टूबर, 1989 से देय होंगे।

(छ) यह आदेश गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा और 30 सितम्बर, 1993 तक प्रवृत्त बना रहेगा।

ब्राजा से,  
मोहिन्दर सिंह,  
सचिव।

परिशिष्ट-एक

चीनी उद्योग के लिये तृतीय मजदूरी बोर्ड चीनी के कारखानों में मानक नामावली आदि की सूची

क्रम संख्या  
मानक नामावली (कुशलता का वर्गीकरण/श्रेणी)

अर्हता/अनुभव

सोपे गये कर्तव्य

अभ्युक्ति

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1 विनिर्माता रसायनज्ञ (पंच-वेधी-क)

विषय के रू में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ विज्ञान में उपाधि और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर की सहस्रवर्षीय संस्थानों या डेकन चीनी संस्थान, कानपुर या डेकन चीनी संस्थान पुणे की सहस्रवर्षीय संस्थानों के रू में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ विज्ञान में उपाधि और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर या डेकन चीनी संस्थान, पुणे की सहस्रवर्षीय संस्थानों।

2 प्रयोगशाला प्रभारी (पंच-वेधी-रू)

प्रयोगशाला और उसके कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, प्रयोगशाला शिपों की संगणना, अनुसंधान और विकल्पों का प्रस्तुत करना और ऐसे अन्य कर्तव्य जो सोपे जायें।

3 प्रधान पैन मैनेजर (पंच-वेधी-ख)

पैन प्लॉट और क्वॉरिंग सेमिनार का सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण और ऐसे अन्य कर्तव्य जो सोपे जायें।

4 पैन इंजिनियर (पंच-वेधी-ग)

राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर या डेकन चीनी संस्थान, पुणे से पैन इंजिनियरिंग कोर्स में डिप्लोमा और पैन मैनेजर के रूप में, पैन प्रभारी के रूप में पांच वर्षों का अनुभव या पैन प्लॉट पर दस वर्षों का अनुभव।

5 पैन मैनेजर (अतिरिक्त)

सहायक पैन मैनेजर के रूप में पांच वर्षों का अनुभव।

विनिर्माण विभाग

पेराई सीजन के दौरान पाली में निर्माण प्रक्रिया और कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और ऐसे अन्य कार्य करना जो सापे जायें।

प्रत्येक पाली का बरिष्ठ पैन मैनेजर के पैन प्रभारी के रूप में पर्यवेक्षण प्रक्रिया जायगा। यदि पाली में केवल एक पैन मैनेजर हो और बाकी सहायक पैन मैनेजर हों तो पैन मैनेजर को पाली के पैन प्रभारी के रूप में पर्यवेक्षण प्रक्रिया जायगा।

किसी पैन मैनेजर को पैन मैनेजर के रूप में पांच वर्षों की सेवा करने के पश्चात् अतिरिक्त श्रेणी में रखा जायगा।

मुख्य समय पाठ

निर्देशक, प्रशासनिक विभाग  
निर्देशक, प्रशासनिक विभाग

अस्पृशिता

5

सौंपे गये कर्तव्य

4

अहंता/अनुभव

3

क्रम- नमि क सामाजिक (कुशलता) का वर्गीकरण/शिक्षण

2

1

6 सहायक पैन मैन (कुशल-ख)

7 प्रयोगशाला आवाज रजिस्ट्रार (परिवेशी-ग)

पैन मैन की उसके तैलिक कार्य में सहायता करना और

पैनो में निदिशानुसार रस उबालना ।

आरक्षण के संवाहन से सम्बन्धित विभिन्न सामग्रियों का विकल्प और प्रयोगशाला में प्रयुक्त तन्तुओं और रस्सियों का नियंत्रण और ऐसे अन्य कर्तव्य जो सौंपे जायें ।

यदि कितने पदारी के पास अन्य विषयों के साथ विज्ञान में उपाधि हो तो उसे जो पत्रिका-न श्रेणी में, जैसा कि इन तुरन्त शिथिल किया गया है, रखा जानना ।

8 विनिर्माण सहायक (कुशल-क)

रस शोधन (जुस क्लारीफिकेशन) की प्रक्रिया और/या स्टोरिंग/सेशन और क्लारीफिकेशन सेशन में विभिन्न इकाइयों को सफाई के पर्यवेक्षण में मैनेजिंग केमिस्ट की सहायता करना; प्रतिवर्षा वाटर टैंकों की पी 10 एच 0 संख्या को इन्सुलेशन करना, इन्वेंट एण्ड आउट लेट कण्डेसर वाटर का तापमान लेना, सीरम का बाल्युम तैल करना, कच्चा रस और सक्क उससे आनुपंक्तिक काय करना ।

उससे आनुपंक्तिक (लेवरेटरी केमिस्ट) की उसके वैयक्तिक प्रयोगशाला रसायन (लेवरेटरी केमिस्ट) को उसके वैयक्तिक कार्य में सहायता करना और ऐसे कर्तव्य करना जो सौंपे जायें ।

इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

9 प्रयोगशाला सहायक (कुशल-ख)

10 इन्वेंटरी और वाटर (कुशल-ख)

इन्वेंटरी को चलाता और लिप्य का समुचित रूप से गुंजा करना सुनिश्चित करना और जब कभी भी आवश्यक है इन्वेंटरी को सफाई की व्यवस्था करना और उससे अनुपंक्तिक कार्य करना ।

सेशन वाटर टैंकों को लेना या मराना और अनिश्चित करने, वाटर टैंकों की रेडिंग और/या मैनेजमेंट टैग को संख्या को करना और उनमें आनुपंक्तिक कार्य करना ।

11 मैनेजमेंट इण्टरमीडिएट (उच्चकुशल)

जहाँ आनुपंक्तिक रिजिस्ट्रार की व्यवस्था हो और सेशन 4 के अश्वीत उरिन-खन कर्तव्यों का चालन न किया जाना हो, वहाँ क्लारीफिकेशन सेशन मजदूर' कहा जाएगा और उसे यथा पुनर्निश्चित अहंता श्रेणी में रखा जानना ।

12 सोलेज रिफाईर (अदकुशल)

शीरा की तोड़ना और तीव्र को अभिलिखित करना और उसके आनुवंशिक री करना।

जहाँ आटोमेटिक रिफाईर की व्यवस्था हो और स्तम्भ-4 के अधीन उल्लिखित कर्तव्यों का पालन न किया जाता हो, वहाँ कर्मकार को "मोले-सेन मजदूर" कहा जायेगा और उसे यथा पुनरोचित प्रमुशत धेनी में रखा जायेगा।

13 जूस रिफाईर (अदकुशल)

जूस की तीव्रता और उसके तीव्र भा तापमान को अभिलिखित करना और उससे आनुवंशिक कार्य करना

जहाँ आटोमेटिक रिफाईर की व्यवस्था हो और स्तम्भ-4 के अधीन उल्लिखित कर्तव्यों का पालन न किया जाता हो, वहाँ कर्मकार को "जूस मजदूर" कहा जायेगा और उसे यथा पुनरोचित प्रमुशत धेनी में रखा जायेगा।

इंटरमीडिएट या उच्चतर मध्यमिक

14 सी.बी.सी. रिफाईर (अदकुशल)

जूस और अन्य द्रवों का निरीक्षण करना और उसे अभिलिखित करना जैसा अपेक्षित हो और उससे आनुवंशिक कार्य करना।

15 मेट (अदकुशल)

सम्बन्धित स्टेशन के जहाँ दृढ़ता हो, कर्मकारों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उससे आनुवंशिक कार्य करना।

16 जूस हीटर अडेन्डेंट (अदकुशल)

जूस हीटर का निरीक्षण और परिचालन करना और उससे आनुवंशिक कार्य करना।

17 जूस हीटर मजदूर (प्रमुशत)

अनुशल कार्य करना जैसा निर्देश दिया जाय।

18 क्लिअरिफाइर अडेन्डेंट (अदकुशल)

क्लिअरिफाइरों को फ्लैण्ड करना और उनका निरन्तर परिचालन करना और उससे आनुवंशिक कार्य करना।

19 रोटेरी वीथुइन अडेन्डेंट (अदकुशल)

रोटेरी वीथुइन फिल्टरों का परिचालन और अनुक्षण करना और उससे आनुवंशिक कार्य करना।

20 नेचुरलिंग ऑपरटर (अदकुशल)

टाई स्पीड आटोमेटिक मेन्ट्रीफायरों का परिचालन करना।

21 मजदूर ऑपरेटर मजदूर (प्रमुशत)

अनुशल कार्य करना जैसा निर्देश किया जाय।

22 मजदूर/हथाना (प्रमुशत)

मीठ पर चीनी के बोतलों को चे जाना और उनका ब्रूइंग, वापस, ब्रूइंग को चढ़ाना, उतारना, जेटिन करने जैसे कार्यों में लगना और सहवृद्ध प्रकार का कोई अन्य कार्य करना जो सीमा जाय।

मजदूर/हथाना 4 करने को सीमा जाय।

मुख्य समय पाल

दिनांक 31.1.91 वि.  
किसक (सहा. वि. मजद.)

1	3	4
23 मार्कर (प्रश्नबल)	...	...
24 (क) लंब व्युत्प (प्रद कुशल)	..	..
24 (ख) समुल व्युत्प (प्रश्नबल)	..	..
25 मयूर (प्रश्नबल)	..	..
26 बंग प्रिण्टिंग मशीन आपरेटर (प्रद कुशल)	..	..
27 बंग सौविग मशीन आपरेटर (प्रद कुशल)	..	..
28 वाटर ड्रिफ्टेन्ट आपरेटर (प्रद कुशल)	..	..
29 फिल्टर कलाप वाजिंग मशीन आपरेटर (प्रद कुशल)	..	..
30 दर्ता (प्रद कुशल)	..	..

स्टेनोग्राफी में कार्य करना और विशेषण के लिये नमनों को तैयार

यदि कोई इच्छा हो तो (यदि

स्टेनोग्राफी सहायता के) तब ही  
इसके कार्य किया जाय तो  
संबंधित मार्कर को प्रश्नबल श्रेणी  
में रखा जायेगा।

प्रयोगशाला में कार्य करना और विशेषण के लिये नमनों को तैयार  
रखना और उनमें श्रानुबंधिक कार्य करना।

कारखाने में विभिन्न स्तरों से प्रयोगशाला में विशेषण के लिये  
नमने लाना और ऐसे कार्य करना जैसा निर्देश दिया जाय।  
प्रश्नबल कार्य करना जैसा निर्देश दिया जाय।

यदि कोई मजदूर नैगमा पमा स्टैम  
या जोल विद्युत वा बोल्ट ड्राइव  
मैगमा पल्प के साथ मैगमा को  
प्रैण्ड करता है उसे प्रद कुशल  
श्रेणी में रखा जायेगा और  
मैगमा पल्प प्रैण्ड के  
रूप में परामिहित किया जायेगा।

बंग प्रिण्टिंग मशीन द्वारा चीनी के बोरे को ठाड़क करना और ससे  
श्रानुबंधिक कार्य करना।

सौविग मशीन द्वारा चीनी के बोरे को मिनाई करना और उ ससे  
श्रानुबंधिक कार्य करना।

वाटर मापने तिन प्लाट का परिचालन करना श्रेणित डिप्री तक  
जो की स्टोरना को बनाने रखना और उनमें श्रानुबंधिक कार्य  
करना।

फिल्टर कलाप वाजिंग मशीन का परिचालन करना और उ ससे  
श्रानुबंधिक कार्य करना।

फिल्टर प्रेम कलाप की कटाई, मिनाई और मरम्भ करना और  
उ ससे श्रानुबंधिक कार्य करना।

- 1 सीरप टैंक एंटेरप्रेण्ट
  - नई श्रेणी
  - सीरप टैंक को श्री सीरप के प्रवाह का पर्यवेक्षण नियंत्रण करना और प्रतिघटा टैंकों की संख्या का अभिलेख रखना।
  - अभियंत्रण विभाग।
- 2 सहायक अभियंता (यांत्रिक पर्यवेक्षी-क)
  - मुख्य अभियंता और/वा उप मुख्य अभियंता को उसके कर्तव्यों के क्रियाविधन में सहायता करना, अपनी पाली में मशीनों के अनुसंधान, मरम्मत (ओवर हालिंग, माडीफिकेशन, और विस्तार आदि) की देखभाल करना और सीपे गये कार्यों को करना जिसके अन्तर्गत कार्यशाला की ड्राइंग का तैयार करना, और यदि अवेक्षित हों तो उसकी देखभाल भी करना है और उनसे अनुबंधित कार्य करना।
  - उद्घृत संरक्षकों, मशीनों, उपकरणों और प्रतिष्ठानों के परिचालन, अनुसंधान, मरम्मत और बनाने के लिये उत्तरदायी और मुख्य अभियंता के सम्पूर्ण नियंत्रण के अधीन रहते हुए अपने अधीन कामियों को नियंत्रण और उनसे अनुबंधित कार्य करना।
  - कार्य का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और कार्यशाला का अनुसंधान करना और उनसे अनुबंधित कार्य करना या सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मार्ग दर्शन और अनुदेश के अधीन सम्पूर्ण पाली के कार्य का पर्यवेक्षण करते सतत सहायक अभियंता को उसके कर्तव्यों के क्रियाविधन में सहायता करना जिसके अन्तर्गत (हेड) फिटरो आदि के कार्य का पर्यवेक्षण भी है।
  - निर्णय उद्योग में यांत्रिक उपकरणों के डिजाइन वर्क का आधारभूत बनाने हेतु आवश्यक और मशीनों की जटिल (ड्रट्टीकेट) ड्राइंग तैयार करने के योग्य होना चाहिये और उनसे अनुबंधित कार्य करना।
  - रहस्यक अभियंता (विद्युत) के मार्ग दर्शन के अधीन या स्वतंत्र रूप से सामान्य पाली में विद्युत संयंत्रों, मशीनों, उपकरणों और प्रतिष्ठानों के परिचालन, अनुसंधान, मरम्मत, और बनाने के लिये उत्तरदायी होना और उनसे अनुबंधित कार्य करना।
  - 22.46 मीटर (75 फिट) के अर्धव्यास के भीतर किसी हीटिंग रूफ के सतत स्टाइररो के अनुसंधान और परिचालन के लिये उत्तरदायी होना, अपने अनुभाग में स्टाइलर कापिकों का पर्यवेक्षण और उनसे अनुबंधित कार्य करना।
- 3 सहायक अभियंता (विद्युत पर्यवेक्षी-क)
  - विद्युत अभियंता के उपाधि और केंद्र के अनुसंधान और बनाने में विद्युत उपकरणों के अनुसंधान में दो वर्क का अनुभव।
- 4 फोरमैन (यांत्रिक पर्यवेक्षी- ग)
  - 50 टो 100 टो 10 तथा दो वर्क का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इन्टर मीन का डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिये।
  - विद्युत उपकरणों के अनुसंधान में दो वर्क का अनुभव।
- 5 फोरमैन (विद्युत पर्यवेक्षी- ग)
  - विद्युत उपकरणों के अनुसंधान में दो वर्क का अनुभव।
  - विद्युत उपकरणों के अनुसंधान में दो वर्क का अनुभव।
- 6 स्टाइलर एंटेरप्रेण्ट (अति कुशल)
  - उद्योग में स्टाइलर वर्क में दो वर्क का अनुभव।
  - उद्योग में स्टाइलर वर्क में दो वर्क का अनुभव।
  - उद्योग में स्टाइलर वर्क में दो वर्क का अनुभव।

मुख्य समय पाल  
 दिनांक 31.1.91  
 किबल (324 सिद्ध नगर)

1

2

3

4

5

## 7--प्रधान फिटर (शक्ति सुरक्षा)

श्री 0 टी 0 श्री 0 प्रधान फिटर फिटर के रूप में दी वृत्त की मा फिटर ] के रूप में 10 वर्ष का अनुभव ।

फिटर ] के कर्तव्यों के अतिरिक्त फिटर्स के कार्य की पूर्ववर्तीप

करना और फिटर के कुशल कार्यों की भी देखभाल में लेना और उभरने अनुपयोगी कार्य भी करने का कार्य भी सीपे जाय ।

## 8--फिटर-1 (कुशल-क)

फिटर-1] के रूप में पांच वर्ष का अनुभव

इस फिटर-1] के लिये और इन्होंने अर्जित करने

के पूर्ण कुशलतापूर्वक और तद्विस्तृत मां के अर्थ में

नाशान प्रयोग में अनेक बार फिटर प्रयोग और मेकनिज्म

की फिटिंग, आयरड्राइंग करने और उन्हें बनाने के लिये योग्य होना चाहिये ।

न-अनुपयोगी राय में सामान्य प्रयोग में अनेक बार मशीनों या

स्त्रचालित । मशीनों या द्वायकों को देख के लिये तैयार

करने और उन्हें देख करने के लिये योग्य होना चाहिये ।

न-वर्किया सन्नेजे का पढ़ने और मशीनों के भागों का चिह्नकान

करने के लिये योग्य होना चाहिये, और

न-उत्तम अनुपयोगी कार्य करना ।

क-रौलेट स्टील बार के किसी टुकड़े में की वे (Key way)

के माध्यम से 1/2 इंच चौड़ा और 1/4 इंच गहरा मार्क

श्राफ और चिप करने,

ख-स्ट्रिट ऐन के अनुसार रेगाई (फाउल) करने और भंडार का

महीर रूप से रेगाई (फाउल) करने,

ग-किसी प्लेट सर्किल में सुराख मार्क और ड्रिल करने और टें

करने,

घ-शेपटॉ पर वेड गनमेटल और ट्राइड मेटल विद्यार्थि

लगाने,

ङ-समस्त शीजारां नसे चीनेल, रोमर, टैप और ड्राइल

और ड्रिलों का प्रयोग करने तथा उनमें ट्रेड के लिये

अपेक्षित हो,

च-दोनों और उनमें एनाइजिंग टॉ को नगमन और फिटिंग करने के योग्य होना चाहिये ।

- छ--0.005 इंच की सीमा के भीतर रेती (फाइल) द्वारा सफ़स को तैयार करने के योग्य होना चाहिये, ज--एसे समस्त श्रौजारों और यंत्रों का ज्ञान होना चाहिये जो उसके ट्रेड के लिये अशिक्षित हो, डाइमेंशन स्केचिंग को समझने और उसके अनुसार काम करने योग्य होना चाहिये, ज--सफ़स प्लेट पर विभिन्न मशीनों के भागों की साधारण माकिंग कर सकते के लिये योग्य होना चाहिये, ट--सफ़स पर 1/2 इंच के वर्गाकार मुखाख सही रूप में कर सकते के योग्य होना चाहिये, ठ--किसी प्रकार के प्राइम मूवर (आई 0 सी 0 और स्टीम) सेट्टीपयगल मशीनों और पम्पों को खोलने और ओवरहाल करने और उन्हें पुनः प्रतिष्ठापित करने और उनके एलायनमेंट का ज्ञान होना चाहिये, और

ड--उन्से आनुषंगिक कार्य करना ।

सिद्धिल अभियंत्रण कार्य को अटेंड करना और उनका निष्पादन करना जैसा दिशेन दिया गया हो और उनसे आनुषंगिक कार्य करना ।  
 विद्युत मशीनों, संयंत्रों की मरम्मत, ओवरहालिंग, परिचालन अत्रुरक्षण करना और उनका पुनस्थापित करना जिसके अन्तर्गत आमचर वाइडिंग भी है और उसमें आनुषंगिक कार्य करना ।  
 आर्मेचरोंक फील्ड क्वायलों अदि की वाइडिंग और मरम्मत करना विद्युत उपकरणों की मरम्मत और अत्रुरक्षण और उनसे संबंधित कार्य करना ।  
 कारखाने के कर्मचारियों में प्रयुक्त चीनी मिल की मशीनों और उपकरणों की इंडिंग तैयार करने और इंडिंगों की ट्रेसिंग करने और उनसे संबंधित कार्य करने के योग्य होना चाहिये ।  
 उभा टर्नर-]] के लिये है और इसके अतिरिक्त, वकिंग स्केचिंग को समझने योग्य होना चाहिये, मापक यंत्रों के प्रयोग का ज्ञान होना चाहिये, ऐश मशीन पर सही-सही जाव की माकिंग करना जानना चाहिये, 0.005 इंच की शुद्धता तक टर्निंग वक करना जानना चाहिये, लैथ मशीन पर विनिर्दिष्ट आयाम तक मशीनों के योग्यता तैयार करने और उनमें आनुषंगिक कार्य करने की योग्यता होना चाहिये ।

किसी भांगरता प्राप्त प्राविधिक संस्था से सिद्धिल अभियंत्रण में डिप्लोमा ।

- 10 ओवरसियर (पर्यवेक्षी-ग)
- 11 विद्युतकार (कुशल-क)
- 12 आर्मेचर वाइडर (कुशल-क)
- 13 इन्फर्समेंन-]] (अति कुशल) किंसी आद्योगिक अभियंत्रण संस्थान से इन्फर्समेंन का प्रमाण-पत्र ।
- 14 टर्नर-]] (कुशल-क)]] आई 0 टी 0 आई 0 5 माण पत्र और टर्नर के रूप में 2 वर्ष का और टर्नर-]] के रूप में दस वर्ष का अनुभव

मुख्य समय पाल  
 निरुद्ध क. लि.  
 किंबंदा (सिद्धि यमन)

## 15-दंत-11 (मुश्कल-ब)

## 16-वेल्डर-1 (मुश्कल-क)

भाई 0 टी 0 भाई 0 का प्रमाणपत्र और वेल्डर के रूप में दो वर्षों का और वेल्डर-11 के रूप में दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

## 17-वेल्डर-11 (मुश्कल-ख)

## 18-दंत मेकर-1 (श्रीति कुम्भन)

दंत मेकर-11 के रूप में तीन वर्ष का अनुभव

लेख मशीन पर विनिर्दिष्ट शायाम के मशीनों के साथ लेख करना, लेख और उसके सभी भागों का रखना जानना चाहिए, विभिन्न स्क्रू बट्टियों के लिये नियर के पहियों को फिक्स अप करने योग्य होना चाहिए, कौलपट्टों द्वारा सही माप लेने का ज्ञान होना चाहिए, स्पेयर पार्ट और अन्य क्लाइंट वर्क थ्रू डों का, काटने और उससे शानुपयोग कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए।

जैसा वेल्डर-11 के लिये है और इसके अलावा, विभिन्न स्केवेल को समझ पाने की क्षमता होनी चाहिए, गूठला के साथ और अधिकांश जटिल फास्टिज जैसी नियर टीथ और को बनाने की क्षमता होनी चाहिए, विभिन्न इलेक्ट्रोड्स और वेल्डिंग राइस के साथ वेल्ड की शक्ति जानना चाहिए, गैस और विद्युत वेल्डिंग उपकरणों की साधारण मरम्मत करने की क्षमता होनी चाहिए, दक्षता के साथ भारत और इतर को वेल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए, विद्युत या आर्कसी ऐसीटिलीन गैस प्रक्रिया द्वारा धातु को वेल्ड करने और काटने और उससे शानुपयोग कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए।

विद्युत या आर्कसी ऐसीटिलीन गैस प्रक्रिया द्वारा धातु को वेल्डना और कटान करना, गैस वेल्डिंग और विद्युत वेल्डिंग दोनों के करने की क्षमता होनी चाहिए। और गैस की सहायता से बटार्ड का काम करने की क्षमता होनी चाहिए, साधारण टूटे फटे भागों को बनाने की क्षमता होनी चाहिए, विभिन्न कार्य पर प्रयुक्त किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का ज्ञान होना चाहिए और उससे शानुपयोग कार्य करना।

विभिन्न स्केवेल को समझने और उनसे जटिल दंत मेकर और कोम्पोज को बनाने की क्षमता होना चाहिए और लोह और इलाह धातुओं के विभिन्न मिश्र धातुओं के संयोजन और फेलाह का ज्ञान और उनके लिये स्थान छोड़ पाने का ज्ञान होना चाहिए और उससे शानुपयोग कार्य करना।



- 19 पैटन मेकर-II (कुशल-क)  
 20 सोल्डर-I (कुशल-क)  
 21 सोल्डर-II (कुशल-ख)  
 22 वायरमैन (कुशल-ख)  
 23 मशीनिस्ट (कुशल-ख)  
 24 लोहार (कुशल-ख)  
 25 बर्कर (कुशल-ख)
- मोल्डर-II के रूप में तीन वर्ष का अनुभव  
 विधि के अधीन परामर्शित प्रशिक्षण अर्हताएं  
 होती चाहिये।
- डाइंगों से लीह और असीह धातुओं के लिये साधारण पैटन बनाना और ढाले जाने वाले भागों के लिये साधारण कोर्स (बॉचे) बनाना जानना चाहिये और उससे अनुपमिक कार्य करना।  
 बॉकेग स्केचेज को समझने का योग्यता और भागों के भागों को मॉल्लिंग और कास्टिंग करने और विनिर्देशों के अनुसार और पैटनों से कोर्स (बॉचे) बनाने या नये योग्य होना चाहिये और।  
 उससे अनुपमिक कार्य करना।  
 मशीन के भागों को मोल्ड करना और कास्ट करना और उससे अनुपमिक कार्य करना।  
 विद्युत लाइनों और वायरिंग के संबंध में किसी प्रकार का कार्य करना, विद्युतकार्य को उसके कार्य में सहायता करना और जब आवश्यक हो तब चार्ज को अटेंड करना और उससे अनुपमिक कार्य करना।  
 निम्नलिखित का ज्ञान होना चाहिये:....  
 क-किन्हीं भी मशीनों पर किसी भी प्रकार का मशीन का कार्य करना जैसे थियरिंग, शॉपिक, मिलिंग, प्लेनिंग और ग्रिडिंग।  
 ख-यूनीवर्सल गियर काटिंग मशीन या यूनीवर्सल मिलिंग मशीन या यूनीवर्सल ग्रिडिंग मशीन पर सूक्ष्म कार्य करना,  
 ग-रीपेयर्स, मिलिंग फटर्स और अन्य औजारों काटि को तेज करना,  
 घ-उससे अनुपमिक कार्य करना।  
 क-किसी हैण्डवाइस को फोर्ज करने और फिट करने का ज्ञान होना चाहिये।  
 ख-डाइमेंसंस, कनेक्टिंग राड, आर्कवेट्टिक राड, साइड या पिस्टन राड को फोर्ज करने की क्षमता होनी चाहिये,  
 ग-किसी एम 0 सी 0 महीन स्टील को बराद के कार्य के ब्रिना फोर्ज करने या फिट करने का ज्ञान होना चाहिये,  
 घ-उससे अनुपमिक कार्य करना।  
 समस्त प्रकार के जोड़ का कार्य करने और फर्नीचर आदि को बनाने और मरम्मत करने और उससे अनुपमिक कार्य करने का ज्ञान होना चाहिये।

मुख्य समय पाल

दिनांक : 31.1.1991  
 स्थान : लखनऊ



35 फायरसेन (अर्द्ध कुशल)

36 पम्पमैन (अर्द्ध कुशल)

37 मोटर प्रटेण्डेण्ट (अर्द्ध कुशल)

38 ड्रायलमैन (अर्द्ध कुशल)

39 हेमरसेन (अर्द्ध कुशल)

40 पेण्टर (अर्द्ध कुशल)

41 मेट (अर्द्ध कुशल)

42 फिटर हैल्पर (अर्द्ध कुशल)

43 मेटर अटेण्डेण्ट (अर्द्ध कुशल)

44 मजदूर (अकुशल)

45 इन्स्ट्रुमेण्ट मैकेनिक (अति कुशल)

आई 0 टी 0 आई 0 से प्रमाण-पत्र

घटती को प्रटेण्डेण्ट और उसकी स्टाफिंग करना; छांबी ईट को सफाई करना और हटाना और उससे आनुपंगिक कार्य करना।

परिचालन करना और अतुरक्षण कार्य करना जैसे स्टीम या वेल्ड या विद्युत् या जल विद्युत् चालित पम्पों की लुब्रीकेटिंग करना और अपने केन्द्र पर जूस, सीरप, मोलसेस आदि के अतिप्रवाह का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उससे आनुपंगिक कार्य करना।

इलेक्ट्रिक मोटरों का परिचालन करना और उनका अतुरक्षण कार्य करना जैसे मोटरों की सफाई, ग्रीसिंग और मोटरों के तापमान को देखना और उससे आनुपंगिक कार्य करना।

किसी मशीन के किसी भाग की आइलिंग ग्रीसिंग और सफाई करना और उससे आनुपंगिक कार्य करना।

हैमर की वेल्डिंग करना, लोहार की सहायता करना और लोहार खाने की दूकान से संबंधित अन्य आनुपंगिक कार्य भी करना।

समस्त धातु कार्यों, मशीनों के भागों, काष्ठ कार्य की पेटिंग करना और इसी प्रकार के प्रकोण कार्य करना और उससे आनुपंगिक कार्य करना।

संबंधित स्टेजोन जहाँ बहूतैनात ही, के कर्मचारों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उससे आनुपंगिक कार्य करना।

उनके कार्य में फिटरो को सहायता करने के योग्य होना चाहिये। ड्रायलरों में जल के ससुचित स्तर को बनाये रखना और वाटर गेज न्वासेज को नीचे डालना और उससे आनुपंगिक कार्य करना।

अकुशल कार्य करना जैसा निर्देश दिया जाय।

समस्त प्रकार के न्यूमैटिक और मैकेनिकल इन्स्ट्रुमेण्ट जैसे स्टीम मीटर, सी 0 सी 0-2 मीटर, वाटर मीटर, वैक्यूम प्रेजर और कम्प्रेसर रिक्वाडर को स्थापित करने, अतुरक्षण करने, मरम्मत करने और अंतःपरीक्षण करने योग्य होना चाहिये।

यदि किसी इन्स्ट्रुमेण्ट मैकेनिक के पास अब विहित प्रहला न हो किन्तु वह सलम-4 में उल्लिखित यंत्रों को सामान्य मरम्मत करने में समर्थ हो तो उसे इन्स्ट्रुमेण्ट मैकेनिक-11 के रूप में परामिषित किया जायगा और क्यापुनरीषित कुशल क-श्रेणी में रखा जायगा।

मुख्य समय पाल

निर्देशक (क. वि.)  
किचन (सि. मग.)



शन करता है तो वह भी केन्द्र प्रसारी के रूप में पदाविहित किया जायेगा और पदाविहित लिपिकीय श्रेणी तीन में रखा जायेगा।

केन कौरिदर की लीडिंग, वैगनों, ट्रकों, ट्रेलरों के स्थापन कार्य का पर्यवेक्षण करना, और मजदूर के कार्य का पर्यवेक्षण करना और उससे अनुपंगिक कार्य करना।

घाट में लोगों के संचरण को विनियमित करना और कौरिदर में बोल रखना और खाली करना और उससे अनुपंगिक कार्य करना।

भरी हुई गल्लों, लॉरियों, बैलगाड़ियों और वैगनों के तौल की जांच करना और उससे अनुपंगिक कार्य करना।

गन्ना प्रधान लिपिक की उसके कर्तव्यों में सहायता करना और ऐसे कर्तव्य करना जो उसे सौंपे जायें।

मजदूरों के कार्य का पर्यवेक्षण करना और उससे अनुपंगिक कार्य करना।

हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रेस से वैगन को उठा कर कौरिदर पिट में केन ट्रक/वैगन की टिल्टिंग करना।

विभिन्न स्थातों में अनुपाल कार्य करना और ऐसे अन्य कार्य करना जैसे गन्ने को बड़ाना, उतारना, वैगनों की शेटिंग करना, बैलगाड़ियों का स्थापन और नियंत्रण करना और उससे अनुपंगिक कार्य करना।

गन्ना के खेतों का पर्यवेक्षण करना और गन्ना के विकास में उत्पादक की सहायता करना और उससे अनुपंगिक कार्य करना जैसा निर्देश दिया जाय।

अंश विकास/शिदर डिपार्टमेंट/अनुभाग का प्रसारी होता है और श्रेणियों से संबंधित कार्य करता है और उससे अनुपंगिक कार्य करता है।

- 8 फीन घाटें मुपराइजर (लिपिकीय-3) इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक
- 9 घाटें फोरमैन (लिपिकीय-3) इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक
- 10 तौल पर्यवेक्षक (लिपिकीय-3) इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक
- 11 सहायक गन्ना प्रधान लिपिक (लिपिकीय-3) इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक
- 12 मेट (अटेंडकुशल) ..
- 13 टोपरमैन (अटेंडकुशल) ..
- 14 मजदूर (अकुशल) ..
- 15 गन्ना विकास कामदार (अटेंडकुशल) ..
- 16 अंश लेखाकार (शिदर लेखाकार) (लिपिकीय श्रेणी-एक)

मुख्य समय पाल

दिनांक 11.01.91  
किचन 31 सिड नगर

**प्रशासनिक और सामान्य विषय**

- 1 क्षम श्रष्टिकारी (पर्व-वेदी-ख)
 

कला/बाणिज्य/विज्ञान में स्नातक, बरीयता-दीर्घ म स्नातक श्राय/या समात्र काय में हितनामा।

प्रवणवत्त की जासिकों के मामलों में सहायता करना और सौंवे भावे श्रान्त कार्म करना।
- 2 कल्याण श्रष्टिकारी (पर्व-वेदी-ख)
 

सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कैम्पटरीज वेल्-फेयर श्राक्रिसस करस के मशीन यथा पित्तित।

सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कैम्पटरीज वेल्फेयर श्राक्रिसस खलस के मशीन यथा-प्रविक्षित कर्तव्यों का पालन और सौंवे भावे श्रान्त कार्म करना।
- 3 मोटर/ट्रैक्टर कोरसंस (पर्ववेदी-ग)
 

मोटर/ट्रैक्टर विन्नाग के कायं का पयवेक्षण और निवदण करना, मशीनरी को मज्जी और मशीनम दणा में रखना और श्रपने विधान के कामियों पर निवदण रखना और सौंवे भावे ऐसै कार्यों को करना।
- 4 सिविल श्रष्टियन्ता (पर्व-वेदी-ग)
 

सिविल श्रष्टियन्ता में उपाधि दार सिविल निर्माण-कायं में श्रांर श्रांर 0 सी 0 सी 0 डिग्रीन कायं का कम से कम तीन वर्ष का श्रानुभव।

समस्त प्रकार के भवन निर्माण कायं, यथा-नाखाना भवनो, स्टाक बगोटो, बर्कस बगोटो, मज्को, तानावो श्रांर उल्की मरम्मत श्रांर क्म रखण के निवे श्रांर ऐसै श्रान्त कार्यों के निवे उलरदायी हेला जो उसे सौंवे भावे।
- 5 कार्यालय प्रवीक्षक (पर्व-वेदी-ख)
 

कला/बाणिज्य/विज्ञान में स्नातक की उपाधि श्रांर सामान्य श्रांर कार्यालय प्रशासन में कम से कम 3 वर्ष का श्रानुभव।

कार्यालय का सामान्य प्रभारी श्रांर उसे सौंवे भावे किसी भी प्रकार के लिपिकीय कार्म को करना निरत श्रन्तगत सामान्य कार्यालय श्रांर सम्बद्ध कान्जिलवों के कामियों का पयवेक्षण श्रांर निवदण भी है श्रांर श्रान्त कार्म जो उसे सौंवे भावे।
- 6 सेवाकार (पर्ववेदी-ख)
 

बाणिज्य स्नातक की उपाधि के प्राय 3 वर्ष का सेवा कायं का श्रानुभव।

सेवे का प्रभारी लेखों का रख रखव श्रांर उससे संबंधित ऐसै श्रान्त कार्म या गारट लेखा संबंधी कार्म।
- 7 बसुयक सेवाकार (निवि-कीय खेती-1)
 

बाणिज्य में स्नातक की उपाधि

लेखा कारको उसके कार्यों में सहायता करना, श्रांर ऐसै कार्यों का करना जो सौंवे भावे।
- 8 सेक्रेटिया (निविकीय खेती-1क)
 

स्नातक

उसे सौंवी गयी नकदों को रखना, मुतालान करना और प्राक्रियों श्रांर भगवान के लेखों का रख रखान, श्रांर उससे सामुर्थनिक कार्यों को करना।

क्षम श्रष्टिकारी का दस वर्ष का श्रानुभव रखने वाले क्षम श्रष्टिकारी को पयवेदी-क में वर्गीकृत किया जायेगा।

कल्याण श्रष्टिकारी का दस वर्ष का श्रानुभव रखने वाले कल्याण श्रष्टिकारी को पयवेदी-क में वर्गीकृत किया जायेगा।

- कार्यालय में अग्नो विभाग के कार्य का पर्यवेक्षण और नियंत्रण और आयुर्विज्ञानिक कार्यों को करना।
- आयुर्विज्ञानिक में डिप्टेन्ट लेना और उसे ट्रेकि करना और अन्य कार्यों को करना जो उसे सौंपे जायं।
- आयुर्विज्ञानिक में डिप्टेन्ट लेने से तनने और उसे ट्रेकि करना और अन्य कार्यों को करना जो उसे सौंपे जायं।
- समस्त पालियों के लिये टाइम कार्ड्स का प्रचारी, वेतन बिलों और विवरणियों को तैयार करना और अन्य आयुर्विज्ञानिक कार्य करना।
- मिन स्टोर के सामानों की प्राविद्या, निर्गम और उनकी अभिरक्षा और उनसे संबंधित और आयुर्विज्ञानिक अभिलेखों के रख-रखाव के लिये उत्तरदायी।
- वाच एण्ड वाई स्टॉफ का निर्वहन और पर्यवेक्षण और कारखाने, परिसर, कॉलेजियों आदि में परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और अन्य कार्य करना जो सौंपे जायं।
- चीनी मिल के सामान्य कार्यों का सन्पादन जिसके अन्तर्गत चीनी का आगम और निर्गम, अथवा अभिलेखों का रख रखाव और सेट्टल इक्वाइज डिपार्टमेंट के संगत नियमों और विनियमों का पालन और सौंपे गये अन्य कार्यों के लिये उत्तरदायी।
- स्टोर कीपर को उमके कार्यों में महायता करना और उससे आयुर्विज्ञानिक कार्यों को करना।
- चीनी गोडाउन कीपर को उमके कार्यों में महायता करना और उससे आयुर्विज्ञानिक कार्यों को करना।
- वाच एण्ड वाई स्टॉफ का कर्मचारियों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण और कारखानों, कॉलेजियों आदि के परिसर में परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और अन्य कार्य करना जो सौंपे जायं।
- सेनेट्री स्टॉफ का पर्यवेक्षण और निर्वहन, नकार्य व्यवस्था की देखभाल, संकामक रोगों आदि की रोकथाम और ऐसे अन्य सौंपे गये कार्यों को करना।
- स्नातक या लिपिकीय श्रेणी तीन का 10 वर्ष का अनुभव।
- आयुर्विज्ञान में कम से कम 100 शब्द प्रतिमिनट की दर से डिप्टेन्ट लेने की और टंकण में कम से कम 40 शब्द प्रतिमिनट की दर से सही रूप में टंकित करने की क्षमता।
- आयुर्विज्ञान में कम से कम 80 शब्द प्रतिमिनट की दर से डिप्टेन्ट लेने की और टंकण में कम से कम 30 शब्द प्रतिमिनट की दर से सही रूप में टंकित करने की क्षमता।
- स्नातक
- वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या वाणिज्य अभियान्तिकी में डिप्लोमा
- स्नातक
- इन्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक
- इन्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक
- सेनेट्री इंसेक्टर ट्रेनिंग सर्टीफिकेट
- 9 विभागीय प्रचारी (लिपिकीय श्रेणी-दो)
- 10 आयुर्विज्ञानिक I (लिपिकीय श्रेणी-एक)
- 11 आयुर्विज्ञानिक-II (लिपिकीय श्रेणी-दो)
- 12 हेड टाइम कीपर (लिपिकीय श्रेणी-एक)
- 13 स्टोर कीपर (लिपिकीय श्रेणी-एक)
- 14 सुरक्षा अधिकारी (पर्यवेक्षी-ग)
- 15 चीनी गोडाउन कीपर (लिपिकीय श्रेणी-एक)
- 16 असिस्टेंट स्टोर कीपर (लिपिकीय श्रेणी-तीन)
- 17 असिस्टेंट चीनी गोडाउन (लिपिकीय श्रेणी-तीन)
- 18 सुरक्षा निरीक्षक (लिपिकीय श्रेणी-तीन)
- 19 सेनेट्री इंसेक्टर (लिपिकीय श्रेणी-तीन)

संख्या 10  
दिनांक 31 जनवरी 1991

- 20 टकरा (लिपिकीय श्रेणी-  
बी)
- 21 टहरन कीपर (लिपिकीय  
श्रेणी-बी)
- 22 टहरन ( लिपिकीय श्रेणी-  
बी)
- 23 टहरनी ( लिपिकीय श्रेणी-  
बी)
- 24 नैतिक-I (शक्ति कुशल)
- 25 शक्ति-II  
(कुशल-क)
- 26 स्टोम लोको टहरन  
(कुशल-क)
- 27 टहरन  
(कुशल-क)
- 28 टकरा टहरन  
(कुशल-क)
- 29 टोचल लोको टहरन  
(कुशल-क)

2  
3  
4

एयरसिस्टम का उच्चतर माध्यमिक

शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र

विधि के अधीन क्या नोडल अफसर प्रेजेंट  
का प्रमाण-पत्र देना चाहिये।

3 वर्ष के अनुभव के साथ शैक्षणिक प्रशिक्षण  
संस्थान का प्रमाण-पत्र

टकरा कार्य करना, और लिपिकीय प्रकार के सौंपे गये कार्य कार्य  
को करना।

मुख्य टहरन कीपर के निर्देश के अधीन कार्य करना। रूपरेखा पालियों  
में टहरन शक्ति का प्रभावी, हार्थी लेने, वेतन विलों को  
नैपार करने और उससे शानुपतिक कार्य करने के लिए  
उत्तरदायी।

टहरन की टैसिंग करना और अन्य प्रिन्ट लेने और उसके शानु-  
पतिक कार्य करना।  
पुरानी, बाउचरी, सिमली को निरे शानुपतिक-जिल्लमारी शक्ति  
करना और उससे शानुपतिक कार्य करना।

मोटर कार, जीप, ट्रक, ट्रेलर को चलाने का कार्य करना और  
ट्रांसिंग और मरम्मत का कार्य करना और ट्रांसिंग को एड-  
जस्टमेंट और एनटर्नल कम्प्युशन करने की जानकारी देना  
का रख रखाव और मरम्मत करना और उससे शानुपतिक  
कार्य करना।

मोटरकार, जीप, ट्रक और ट्रेलर को मरम्मत, और रशीलन  
और शानुपतिक करना और उससे शानुपतिक कार्य करने के  
योग्य होना।

उन स्टोम लोकोमोटिव को चलाना, उनका शनुरक्षण, मरम्मत  
और रख-रखाव जो गरीब और अन्य मामुपिकों को बाहर के  
केन्द्र/सिंकारों में परिवहन करने के लिए एल 0 रेंज (ट्रामवे) में  
पर चलते हैं।

मोटर/ट्रक/कार और अन्य मोटर गाड़ियों को चलाना और  
उनका स्वच्छ रखाव में और चालू होना में शानुरक्षण करना।  
और उससे शानुपतिक कार्य करना।  
ट्रकर चलाना और उसे चालू होना में रचना और उससे शानु-  
पतिक कार्य।

डीजल इंजन चलाना और/या शक्ति करना और इंजन को स्वच्छ  
और चालू होना में रखाव करना और उससे शानुपतिक कार्य  
करना।

- 30 राज (मैसन) (कुशल-ख) -- तमूह में और पंक्ति में ईट चुतना और प्लास्टर कार्य करना और धाड़लों में अक्षित ईंटों का कार्य करने में योग्य होना और उससे आनुपूर्विक कार्य करना।
- 31 लोको फायरमैन (अर्द्ध कुशल) -- नाम के इंजन में कोयला जोकना, इंजन की सफाई और तेल देना और लोको के ड्राइवर को उसके कार्य में सहायता करना तथा उससे आनुपूर्विक कार्य करना।
- 32 भवेन मुकादम (अर्द्ध कुशल) • सिविल अभियंता विभाग में मजदूरों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण और उससे आनुपूर्विक कार्य करना।
- 33 सैट (अर्द्ध कुशल) -- सामान्य विभाग में मजदूरों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण और उससे आनुपूर्विक कार्य करना।
- 34 सफाई मजदूर जभादार -- सफाई मजदूरों के कार्य का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उससे आनुपूर्विक कार्य करना।
- 35 जभादार (अर्द्ध कुशल) -- चरामियों और/या पहरदारों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और अन्य आनुपूर्विक कार्य करना जो दिए जाय।
- 36 पहरदार (अनुकुशल) -- नग्नति पर पहरा देना और रक्षा करना और उससे आनुपूर्विक कार्य करना।
- 37 सफाई मजदूर (अनुकुशल) -- सफाई करना, धाड़ लगाना, कारखाने कालोनी आदि की स्वच्छता और सफाई से सम्बन्धित अन्य कार्यों को करना।
- 38 प्वाइंट मैन (अनुकुशल) -- वेगल या साइडिंग के स्थान को सुनिश्चित करने के लिये शटिंग के दौरान कांटे ( प्वाइंट) लगाना, जोड़ों (ज्वाइंट्स) को काटना और उन्हें जोड़ना और इंजन कर्मचारियों को सिग्नल (संकेत) दिखाना और उससे आनुपूर्विक कार्य करना।
- 39 स्वच्छकार (अनुकुशल) -- मोटरकार/ट्रिक और अन्य गाड़ियों की सफाई, तेल डालना, धोना और बुनाई करना और अन्य कार्य करना जो दिए जाय।
- 40 माली (अनुकुशल) -- बगीचों को सुव्यवस्थित बनाये रखने और अनुपस्थित करने की और ध्यान देना और उससे आनुपूर्विक कार्य करना।
- 41 अतिथि गृह परिवारक (सैट हाउस अटेंडेंट) (अनुकुशल) -- अतिथि गृह में उपस्थित रहना, चाय, भोजनादि परसना और उससे आनुपूर्विक कार्य करना।
- 42 रसाइयां (कुशल-ख) -- विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करना और पकाना और उससे आनुपूर्विक कार्य करना।

मुख्य सचिव पाल

वि.सं. १००/१९९१

1	2	3	4	5
43	पुनारी (श्रद्धं कुशल)	---	---	इन्हें करी पुनारी करना और प्रार्थना करना और ऐसे अन्य धार्मिक कार्य-कलापों का सम्पादन करना जिनका निर्देश दिया जाय। श्रद्धालु कार्यो को करना जिनका निर्देश दिया जाय।
44	मजदूर (श्रद्धालु)	---	---	मानवीय रोगों का निदान करना और उपचार करना और चिकित्सा सम्बन्धी सम्स्याओं से सम्बन्धित अन्य चीज करना।
45	चिकित्सा अधिकारी-I (पर्यवेक्षी-क)	एम 0 बी 0 बी 0 एम 0 बी 0 उपधि या उच्चतर श्रद्धालु ।	मानवीय रोगों का निदान और उपचार करना और चिकित्सा सम्स्याओं से संबंधित अन्य चीज करना।	चिकित्सा सम्बन्धी सम्स्याओं से सम्बन्धित अन्य चीज करना।
46	चिकित्सा अधिकारी-II (पर्यवेक्षी-ब)	एम 0 बी 0 बी 0 एम 0 उपधि के कम श्रद्धालु प्रारण करने वाला।	मानवीय रोगों का निदान और उपचार करना और चिकित्सा सम्स्याओं से संबंधित अन्य चीज करना।	चिकित्सा सम्बन्धी सम्स्याओं से सम्बन्धित अन्य चीज करना।
47	कम्पाउन्डर (लिपिकीय श्रेणी-बी)	कम्पाउन्डर प्रमाण-पत्र या प्रौद्योगिक निर्माण विज्ञान से डिप्लोमा।	चिकित्सा सम्बन्धी सम्स्याओं से सम्बन्धित अन्य चीज करना।	चिकित्सा सम्बन्धी सम्स्याओं से सम्बन्धित अन्य चीज करना।
48	नर्स (परिचारिका) (लिपिकीय श्रेणी-बी)	भाषानुसार उपाचारिका प्रमाण-पत्र या उसके समकक्ष कोई अन्य श्रद्धालु।	रोगी की भाषानुसार देखभाल करना, रोगियों को उपचार, ताप श्रादि का श्रवित्व रखना, प्रारम्भिक उपचार करना और उपचारिका के अन्य कार्यो को करना।	रोगी की भाषानुसार देखभाल करना, रोगियों को उपचार, ताप श्रादि का श्रवित्व रखना, प्रारम्भिक उपचार करना और उपचारिका के अन्य कार्यो को करना।
49	सेविका (मिडवाइफ) (लिपिकीय श्रेणी-बी)	शान्तकालिनरी नर्स मिडवाइफ का प्रमाण-पत्र	भाषी मानकों के लिए प्रत्येक देखभाल करना, सामान्य प्रसूति के मामलों का संचालन करना और प्रसव के पर्याप्त की देखभाल करना, उपचारिका के कार्यो को करना, प्रसव कक्षा में चिकित्सक की सहायता करना और उससे श्रानुपयोग कार्य करना।	भाषी मानकों के लिए प्रत्येक देखभाल करना, सामान्य प्रसूति के मामलों का संचालन करना और प्रसव के पर्याप्त की देखभाल करना, उपचारिका के कार्यो को करना, प्रसव कक्षा में चिकित्सक की सहायता करना और उससे श्रानुपयोग कार्य करना।
50	बेबा लिपिक (लिपिकीय श्रेणी-बी)	इन्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक	नेत्राचार या महत्वक नेत्राचार के निर्देश के अधीन नेत्रा श्रानुभाग में कार्य करना और/या भ्रम विभाग/श्रानुभाग में श्रम नेत्राचार या किसी अन्य श्रानुकारी द्वारा यथा निर्देशित नेत्रा के कार्यो को करना और उससे श्रानुपयोग कार्य करना।	नेत्राचार या महत्वक नेत्राचार के निर्देश के अधीन नेत्रा श्रानुभाग में कार्य करना और/या भ्रम विभाग/श्रानुभाग में श्रम नेत्राचार या किसी अन्य श्रानुकारी द्वारा यथा निर्देशित नेत्रा के कार्यो को करना और उससे श्रानुपयोग कार्य करना।
51	टाइम श्राफिस क्लर्क (लिपिकीय श्रेणी-बी)	इन्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक	प्रधान मन्त्रालय (हेड टाइम कीपर) या सम्प्रदाय के निर्देश यदि किसी करखाने में भवन सम्प्रदाय के श्रानु कार्यो को टाइम श्राफिस क्लर्क के पद के साथ भेसा दिया जायगा।	प्रधान मन्त्रालय (हेड टाइम कीपर) या सम्प्रदाय के निर्देश यदि किसी करखाने में भवन सम्प्रदाय के श्रानु कार्यो को टाइम श्राफिस क्लर्क के पद के साथ भेसा दिया जायगा।

(2)

मशीनों के विभिन्न पुर्जों और अन्य वस्तुओं के विभिन्न आकारों और उनके मूल की पहचान में परिचित होना चाहिये और वास्तव में संपूर्ण के कार्य में लगा हो और/या स्वतंत्र रूप से तथा निर्देशित उनकी तिकासी।

**कतिपय व्यवसायों के कर्त्तव्य, शैक्षिक श्रेणियों आदि**

कारखाने के मुख्य प्रयानक या महाप्रबन्धक के सचिव या व्यक्तिगत सहायक के रूप में गोपनीय है नियत में काम करना।

चीनी और सीरे की विक्री से संबंधित लेखों और रजिस्ट्रारों का अनुरक्षण और संबंधित बीजकों पत्राचारों और उनसे अन्य पंजीक कार्य करना।

गेट पर और/या विभिन्न केन्द्रों पर गन्ना क्रयों का परीक्षण उनके अन्तर्गत तौर, भुगतान, गन्ने की गुणवत्ता आदि है और उनसे आनुपंजीक कार्य करना।

रोबोइया की उसके कार्यों में सहायता करना और उससे आनुपंजीक कार्य करना।

यथा स्थिति गन्ना विकास, विभिन्न अभियंत्रण विभाग या चिनी अन्य विभाग में कार्य का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उससे आनुपंजीक कार्य करना।

जहाँ कारखाने द्वारा नवी गन्ना खरीदा जाता है और सहकारी समितियों के माध्यम से नहीं खरीदा जाता है, वहाँ गन्ने के कैलेण्डर का और गन्ने की फसल की कटाई और अधिचयना पत्रियां जारी करने का प्रसारी।

स्थानीय कर्म करना और यथा निर्देशित और उनसे आनुपंजीक कार्य करना।

रेल से सम्बन्धित सभी कार्यों रेल के स्टेशन कर्मचारियों के साथ नियमित सम्पर्क बनाने रखने, भाड़ा की गणना करने, अपने वाले परेषण को प्राप्त करने और बाहर जाने वाले लोगों को भेजने, दावों को भरने और अन्य सहायक कार्यों को करने के लिये उत्तरदायी होगा।

52 स्टोर ब्याय (अर्द्ध कुशल)

1 निजी मंचि (पर्यवेक्षी व) स्नातक उपाधि और आयुलिपि और टकण का ज्ञान।

2 विक्री प्रसारी (लिपिकीय श्रेणी-दो)

3 गन्ना निरीक्षक (लिपिकीय श्रेणी-दो) इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

4 सहायक रोकडिया (लिपिकीय श्रेणी-तीन) इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

5 पर्यवेक्षक (लिपिकीय श्रेणी-तीन) इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

6 चालान प्रसारी (लिपिकीय श्रेणी-तीन) इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

7 स्टोर परचेजर (लिपिकीय श्रेणी-तीन) इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

8 टेलर क्लर्क (लिपिकीय श्रेणी-चार) इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

मुद्रा असाधारण गजट  
31 जनवरी 1991  
लखनऊ

1	2	3	4	5
9	दुर्गर गोउडन बसने (निर्दिष्ट श्रेणी-चार)	इण्डरमीडियट या उच्चतर माध्यमिक	बुनुर गोउडन की पर का उसके कार्य में लक्ष्य । करना। शक्ति-बलों को रखना और गोरामो में कीर्ति के । परी को जीवित रूप से रखना सुनिश्चित करना । बैंगन, इ. आ. में कीर्ति के बोरा को लक्ष्यना और उससे प्रावृत्तिक कार्य करना ।	
10	स्टार लिपिक (लिपिकीय श्रेणी-चार)	इण्डरमीडियट या उच्चतर माध्यमिक	स्टार में लिपिकीय कार्य करना और उससे प्रावृत्तिक कार्य ।	
11	बित्री लिपिक (लिपिकीय श्रेणी-चार)	इण्डरमीडियट या उच्चतर माध्यमिक	बित्री के सम्बन्धित लिपिकीय कार्य करना और यथा निर्दिष्ट कार्य करना ।	
12	भुगतान लिपिक (सेमेन्ट बलक) (लिपिकीय श्रेणी-चार)	इण्डरमीडियट या उच्चतर माध्यमिक	लिपिक भुगतानों को करना और उनके अभिलेख रखना और उससे प्रावृत्तिक कार्य करना ।	
13	श्रमिलेयपान (रेकार्ड कीपर) (लिपिकीय श्रेणी-चार)	इण्डरमीडियट या उच्चतर माध्यमिक	श्रमिलेयों या श्रुत्युक्त करने जब माने जाएं तो मन्तव्य को भरने, प्रस्तुत करने और उससे प्रावृत्तिक कार्य के निम्ने उत्तरदायी ।	6
14	टेलीफोन क्लर्क (लिपिकीय श्रेणी-तीन)	इण्डरमीडियट या उच्चतर माध्यमिक	बाहुर से प्राप्त वाली, बाहुर जाने वाली तथा श्रुतकार्यनकी टेलीफोन काल को जोड़ने के लिये टेलीफोन स्थान बौद्ध को मंचालन, पृष्ठ-लाठ पर ध्यान देना, संदेशों को प्राप्त करना काल को श्रमिलेय रखने जैसे सम्बन्धित कार्य को सम्पादन ।	
15	ज्या बलक (लिपिकीय श्रेणी-चार)	इण्डरमीडियट या उच्चतर माध्यमिक	व्यक्तिगत : कर्मकारों के दैनिक कार्य और यथा-निर्दिष्ट अन्य कार्य-प्राला कार्य के श्रमिलेय रखना ।	
16	निर्दिष्ट श्रमिलेय लिपिक (सेन्सुस क्लर्क) (लिपिकीय श्रेणी-चार)	इण्डरमीडियट या उच्चतर माध्यमिक	मुख्य रसायनशा/मुख्य श्रमिलेयता के निदेशों के श्रमिलेय लिपिकीय कार्य करना, श्रुतभाग के श्रमिलेयों को श्रुत्युक्त करना और उनसे प्रावृत्तिक कार्य करना ।	
17	भवन लिपिक (बिडिंग क्लर्क) (लिपिकीय श्रेणी-चार)	इण्डरमीडियट या उच्चतर माध्यमिक	निर्दिष्ट श्रमिलेयता/श्रुत श्रमिलेयता के निदेश के श्रमिलेय भवन श्रुतभाग में लिपिकीय श्रुत लेखा कार्य करना ।	
18	सामान्य लिपिक (लिपिकीय श्रेणी-चार)	इण्डरमीडियट या उच्चतर माध्यमिक	सामान्य लिपिकीय प्रवृत्ति के निर्मित कार्यों को करना और उससे प्रावृत्तिक कार्य ।	
19	गोन लिपिक (सेमेन्ट बलक) (लिपिकीय श्रेणी-चार)	इण्डरमीडियट या उच्चतर माध्यमिक	गया निवमानता के श्रुतभाग में गने की ठीक लीन के लिए और उसके श्रमिलेय रखने के निम्ने उत्तरदायी और उन्मुख प्रावृत्तिक	

गते की तौल के पश्चात् कागजों को तैयार करना और उससे आनुषंगिक कार्य ।

श्रीवार कक्ष (टूल रूम) में श्रीवारों की प्राप्ति और निर्गम, रिजिस्ट्रों की प्राप्ति और निर्गम का अनुदक्षण करने, अधिवाचना पत्रियों को लिखने के लिये उत्तरदायी और तससे अनुषंगिक कार्य करना ।

पत्रों आदि की प्राप्ति और निर्गम का अभिलेख रखना, डाक टिकट का लेना रखना और विभिन्न अनुभागों या शाखाओं के विषय पत्रों का ठाटना और उससे आनुषंगिक कार्य करना । लेखन सामग्री अनुभाग का प्रसारी, लेखन सामग्री की वस्तुओं की प्राप्ति और निर्गम के अभिलेखों का अनुदक्षण करना और उससे आनुषंगिक कार्य करना ।

तौल करना/चिनों के गालों व परे हुए तौरों का, श्रेणी के अनुसार, लेना रखने और तौल के लिये उत्तरदायी और गुणर हाउस में तैयार खानों का नियंत्रण करना और उससे आनुषंगिक कार्य करना ।

केन्द्रीय से सम्बन्धित कार्य करना ।

बाहर से आने वाले और बाहर जाने वाले सामान का निरीक्षण करना और प्रवेश पत्रों का अभिलेख रखना और उससे अनुषंगिक कार्य करना ।

बरीदे गये गत्रे के मूल्यों और तौलों के योग का मिलान करना और उनकी जांच करना और उससे आनुषंगिक कार्य करना ।

बाहर से अन्दर आने वाली और बाहर जाने वाली गत्रे की गाड़ियों, ट्रकों आदि के संबंध में टोकेन जारी करना और उनका अभिलेख रखना और उससे आनुषंगिक कार्य करना ।

कारखाने की भू-सम्पत्तियों का अभिलेख रखना और उससे संबंधित कार्य करना ।

पत्रों लिखना और/या जारी करना और उनका अभिलेख रखना और उससे आनुषंगिक कार्य करना ।

तौल से पहले गत्रे के प्रकार और गुणवत्ता के संबंध में गत्रे की गाड़ियों की जांच करना और उससे आनुषंगिक कार्य करना ।

इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

20 कालज लिखने वाला लिपिक (ग्रीट राइटिंग क्लर्क) (लिपिकीय श्रेणी-चार)

इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

21 श्रीवार कक्ष लिपिक (टूल रूम क्लर्क) (लिपिकीय श्रेणी-चार)

इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

22 प्राप्ति और निर्गम लिपिक (लिपिकीय श्रेणी-चार)

इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

23 लेखन सामग्री लिपिक (स्टेशनरी क्लर्क) (लिपिकीय श्रेणी-चार)

इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

24 चौकी गोदाम लिपिक (गुणर हाउस क्लर्क) (लिपिकीय श्रेणी-चार)

इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

25 कैन्टीन क्लर्क (लिपिकीय श्रेणी-चार)

इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

26 नेट क्लर्क (लिपिकीय श्रेणी-चार)

इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

27 टैनी क्लर्क (लिपिकीय श्रेणी-चार)

इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

28 टैकेन क्लर्क (लिपिकीय श्रेणी-चार)

इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

29 अमीन (लिपिकीय श्रेणी चार)

इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

30 पत्र क्लर्क (लिपिकीय श्रेणी-चार)

इण्टरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक

31 इटालिक (चैकर) (लिपिकीय श्रेणी-चार)

32 ईधन लिपिक (पब्लिक वर्क) इण्डरमीडिएट या उच्चतर माध्यमिक (लिपिकीय श्रेणी-चार)

क्याथलरो के लिये और/या कर्मचारों के लिये जारी किये गये ईधन (पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटर आदि) का अधिलेख रखना उससे शानुपातिक कार्य करना ।

**नवीन श्रेणियां**

प्रबन्ध तंत्र द्वारा अर्हता और सीधे गये कर्तव्यों के अनुसूप द्वारा निर्धारित करना ।

1 कम्प्यूटर ऑपरेटर

परिवहन अधीक्षक को उसके कार्य में नहायला करना और परि-कहन अनुपालन के कार्य का पर्यवेक्षण करना जि सके अन्तर्गत गाड़ियों का आवंटन, गाड़ियों का अनुसंधान और मरम्मत है है और दुर्घटना आदि को देखना ।

2 गैराज प्रभारी (पर्यवेक्षीय-ख)

घावों पर पट्टी बांधना, रोगियों को प्राथमिक उपचार देना और उससे शानुपातिक अन्य कार्य करना ।

**परिशिष्ट दो**

पुनर्निश्चित मकान किराया अनुसूची

मकान का प्रकार	विस्तार	मकान	किराया	अधिक और	तक	रु 0 1700 से	2500 रूपये से अधिक
विजली	पानी	1275 रूपये	1275 रूपये से 1400 रूपये तक	1400 तक	रु 0 2500 तक	2500 रूपये से अधिक	

- क-एक कमरे का आवास स्थान फर्श का क्षेत्रफल 232 वर्ग फुट
- ख-दो कमरे का आवास स्थान फर्श का क्षेत्रफल 356 वर्ग फुट एक मजिदानी
- ग-तीन कमरे का आवास स्थान फर्श का क्षेत्रफल 452 वर्ग फुट

1	2	3	4	5	6	7	8
20 रूपये 100	25 रूपये 100	30 रूपये 100	45 रूपये 100	55 रूपये 100	65 रूपये 100		

अधिकतम 85 रूपये के अधिमान रहने हुये इन वेतन का सात प्रतिशत शत ।